रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 1981/पौष 26, 1902

No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1981/PAUSA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1981

सा० का० नि० 23 (अ) :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के नियमों का एक प्रारूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1280 तारीख 28 सितम्बर, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 20 अक्तूबर, 1979 पृष्ठ 2836 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख से, जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां जिस में उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी ;

और उक्त राजपत्र 20 अक्तूबर, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियम की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा) संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ; सिवाय नियम 2 और 3 के, जो इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 42 में, उपनियम (न) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(प) एण्टीकेकिंग एजेन्ट के रूप में, एलुमीनियम सिलिकेट मिले टेबल नमक के प्रत्येक आधान या पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् :—

टेबल नमक
(इसमें अनुज्ञाप्राप्त ऐण्टीकेकिंग एजेन्ट अन्तर्विष्ट है।)

3 उक्त नियमों के नियम 49 में, उपनियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

"(10) एण्टीकेकिंग एजेन्ट मिले हुए टेबल नमक का केवल ऐसे पैकेज में विक्रय किया जाएगा जिस पर नियम 42 के उपनियम (V) में यथा-विनिर्दिष्ट लेबल लगा हो।"

4. उक्त नियम के परिशिष्ट "ख" में, मद सं० ए. 15 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"ए. 15—साधारण खाद्य नमक से, सफेद, पीला गुलाबी या हल्के भूरे रंग का ऐसा क्रिस्टीलीय ठोस नमक अभिप्रेत है जो दृश्य रूप में मिट्टी मिट और अन्य बाह्य अपमिश्रण तथा अशुद्धताओं से रहित है। इसमें आर्द्रता अशुष्क नमूने के भार से 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सोडियम क्लोराइड (एन.ए.सी.एल.) के रूप में और सोडियम क्लोराइड से भिन्न जल में विलेय द्रव्य, शुष्क भार के आधार पर उक्त सारणी के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित वैधता की अवधि के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट रूप में होगा। जल में अविलेय द्रव्य शुष्क भार के आधार पर 1 0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

सारणी

वैधता की अवधि	(शुष्क आधार पर) एन.ए.सी.एल. के रूप में सोडियम क्लोराइड द्रव्य की न्यूनतम प्रतिशतता	(शुष्क आधार पर) सोडियम क्लोराइड से भिन्न जल में विलेय द्रव्य की अधिकतम प्रतिशतता
1	2	3
31-3-81 तक	94 0	5. 0
1-4 81 से 31-3-82 तक	94. 5	4. 5
1-4-82 से 31-4-83 तक	95 0	4. 0
1-4-83 से 31-4-84 तक	95. 5	3 5
1-4-84 से आगे	96. 0	3 0

परन्तु टेबल नमक में एण्टीकेकिंग एजेन्ट के रूप में एलुमीनियम सिलिकेट 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जल में अविलेय कुल द्रव्य 2.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और शुष्क भार के आधार पर सोडियम क्लोराइड द्रव्य भार में 97.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा।"

[सं० पी० 15018/3/76-पी०एच० (एफ०एड०एन०) पी०एफ०ए०
सी. वी. एस. मणि, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 1981

G S R. 23(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G S.R 1280 dated the 28th September, 1979 at pages 2386-2387 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 20th October, 1979 for inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby before expiry of 45 days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;—

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th October, 1979;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government after consultation with Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (1st Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette, except rules 2 and 3 which shall come into force after the expiry of six months from the date of publication of these rules.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, (hereafter referred to as said Rules), in rule 42 after sub-rule (U), the following shall be inserted, namely :—

"(V) Every container or package of table salt containing aluminium silicate as anticaking agent shall bear the following label, namely :—

TABLE SALT
(Contains permitted anti-caking agent)

3. In rule 49 of the said rules, after sub-rule (9) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(10) Table salt containing an anticaking agent shall be sold only in a package which shall bear the label as specified in sub-rule (V) of rule 42".

4. In Appendix B of the said rules, for item A.15, the following shall be substituted, namely :—

"A.15—Edible common salt means a crystalline solid, white, pale pink, or light grey in colour free from visible contamination with clay, grit and other extraneous adulterant and impurities. It shall not contain moisture in excess of six per cent of the weight of the undried sample. The sodium chloride content (as NaCl) and the matter soluble in water other than sodium chloride on dry weight basis shall be as specified in clumns (2) and (3) of the Table below against the period of validity mentioned in the corresponding entry in column (1) of the said Table. The matter insoluble in water shall not exceed 1.0 per cent by weight on dry weight basis

TABLE

Period of Validity	Minimum percentage of sodium chloride content as NaCL (on dry basis)	Minimum percentage of matter soluble in water other than sodium chloride (on dry basis)
Upto 31-3-82	94.0	5.0
from 1-4-82 to 31-3-83	94.5	4.5
from 1-4-83 to 31-3-84	95.0	4.0
from 1-4-84 to 31-3-85	95.5	3.5
from 1-4-85 onwards	96.0	3.0

Provided that table salt may contain aluminium silicate as an anticaking agent to a maximum extent of 2.0 per cent;

Provided further that the total matter insoluble in water in such cases shall not exceed 2.2 per cent and the sodium chloride content on dry basis shall not be less than 97.0 per cent by weight"

[No. P. 15018/3/76-PH(F&N)PFA.]
C. V. S. MANI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981